न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2017 निगरानी R 466- II 17

शरीफ राईन आत्मज स्व0 हाजीखुदा वक्श, आयु-60वर्ष, व्यवसाय-ठेकेदारी, निवासी- बालागंज मोहल्ल होशंगाबाद तहसील व जिला होंशगाबाद

----आवेदक

दिनांक 25.2.17 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत/
25.2.17
SO

विरुद्ध

1- अकीला आयु-40वर्ष, आत्मज स्व0 अल्ला वक्श, पत्नि मोहम्मद इशाक निवासी- कुरवाई तहसील कुरवाई जिला विदिशा

2- शकीला आयु-करीब 40 वर्ष, स्व0 आत्मज अल्लावक्श, पत्नि मोहम्मद आरीफ, निवासी-नारियल खेडा तहसील व जिला भोपाल

Pradeep Shrivastava
Advocate

3- समीना आयु-34 वर्ष, आत्मज स्व0 अल्लावक्श, पत्नि अब्दुल रसीद दलात निवासी- शांति नगर मुदलियार ले आउट नागपुर तहसील व जिला नागपुर

4- सबनम आयु-32 वर्ष, आत्मज स्व0 अल्लावक्श, पत्नि मोहम्मद आशिक इश्मानी निवासी- महाजनी वार्ड नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर

5- अशना आयु-28 वर्ष, आत्मज स्व0 अल्लावक्श, पत्नि मोहम्मद साबीर उस्मानी महाजनी निवासी- वार्ड नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर

-2

6- रेहनुमा आयु-करीब 26 वर्ष, आत्मज स्व0 अल्लावक्श, पत्नि मोहम्मद रमजान राईन, निवासी-गढाकोटा तहसील गढाकोटा जिला सागर म0प्र0

-----**अनावेदकगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बुधनी जिला सीहोर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक-67/अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2017 एवं उनके पूर्व की आदेश पात्रिकायें

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत हैं :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा अपील संशोधित पंजी क्रमांक-1 दिनांक 31.12.2013 को जो वर्ष 2013-15 के लिये ग्राम बुदनी तहसील बुदनी जिला सीहोर की है। जिसके प्रमाणित प्रति आवेदक को दिनांक 27.06.2016 को प्राप्त हुई। इस संशोधित पंजी में अंकित एवं दर्ज किये गये सूचना व सुनवाई, हितबद्ध, व्यक्ति, अविलिखित भूमि स्वयं को बिना सुने विधि विरुद्ध नामांतरण से दुखित होकर अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की।

2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3- यह कि, संशोधित पंजी क्रमांक-1 दिनांक 31.12.2013 ग्राम बुधनी तथ्य एवं विधि के विपरीत है।

4- यह कि, संशोधित पंजी क्रमांक-32 दिनांक 14.12.2013, संशोधन पंजी क्रमांक-31 दिनांक 10.12.2013 के बाद

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-766/II/17 शरीफ राइन / अलीला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षाकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
8/1/19	आवेदक की ओर से श्री प्रदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के प्रकरण क्रमांक 67/अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक 27-1-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/5/19 को कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	